

आई/129209/2022

संख्या-02/2022/715/23-10-21-18(सेतु)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,  
लोक निर्माण विभाग,  
30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद जालौन में बिलरायां-पनवाड़ी (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-346 पर कोंच मलंगा नाले पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-97/नदी सेतु/झांसी क्षेत्र/बी0एम0 सी0/2021 दिनांक 28.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जालौन में बिलरायां-पनवाड़ी (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-346 पर कोंच मलंगा नाले पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु लागत रू0 778.40 लाख (रूपये सात करोड़ अट्ठहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 0 194.60 लाख (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आवंटन (4+5)	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद जालौन में बिलरायां-पनवाड़ी (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-346 पर कोंच मलंगा नाले पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	778.40	153.33	41.27	194.60	सेतु निगम
	योग-	778.40	153.33	41.27	194.60	

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

(15) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-20-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश अनुदान सं0-57 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3463-दस-2021-22, दिनांक 03.01.2022 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3465-दस-2021-22, दिनांक 03.01.2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( राजेश कुमार अग्रवाल )

संयुक्त सचिव।

संख्या-02 /2022/715(1)/23-10-21-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- मण्डलायुक्त, झाँसी / जिलाधिकारी, जालौन ।
- 3- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी ।
- 4 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झाँसी ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
- 8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- 9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राजेश कुमार अग्रवाल )

संयुक्त सचिव।